

निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग

खनिज भवन, उदयपुर - 313001

दूरभाष : 2423110, फेक्स (0294) - 2410526

e-mail : dmgoms.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक—DMG/DMGOMS/RSMET/ 1362

दिनांक- 18 .06.2021

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा खननपट्टाधारियों/ठेकेदारों के माध्यम से जमा करायी जाने वाली आर.एस. एम.ई.टी. (राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट) राशि को विभागीय ऑनलाईन सिस्टम से जमा कराये जाने का प्रावधान तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत खननपट्टाधारियों/ठेकेदारों द्वारा दिनांक 01.07.2021 से डी.एम.एफ राशि की भांति ही आर.एस.एम.ई.टी. राशि को भी विभागीय लॉगिन के माध्यम से चालान जनरेट कर अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।

इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.06.2021 तक देय आर.एस. एम.ई.टी. राशि एवं दिनांक 30.06.2021 तक जरिये मेन्यूअल चालान जमा करायी गयी आर.एस.एम. ई.टी. राशि को डेबिट/क्रेडिट नोट में उपलब्ध RSMET प्रावधान के जरिये RSMET Head में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे।

(हर्ष सावनसुखा)

अति.निदेशक (प्रशासन)RAS

नोडल अधिकारी— DMGOMS-IT

क्रमांक—DMG/DMGOMS/RSMET/ 1363-1466

दिनांक- 18 .06.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अति.निजी सचिव, निदेशक, के. कार्यालय, उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, के. कार्यालय, उदयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक खान (मु0)/खान पर्या. एवं विकास (मु.)/सर्त. (मु.)
/जयपुर/जोधपुर/ उदयपुर/कोटा ।
4. अति. निदेशक भू-विज्ञान (मु.)।
5. अधीक्षण खनि अभियंता मु.-I/II/III।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत- जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा /
बीकानेर/भरतपुर/ भीलवाडा / अजमेर/राजसमन्द/सर्त0।
7. समस्त खनि अभियंता /समस्त सहायक खनि अभियंता को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त खननपट्टाधारको/ठेकेदारों को इस हेतु सूचित करा आर.एस. एम.ई.टी. राशि को ऑनलाईन लिया जाना सुनिश्चित करावे।
8. समस्त खनि अभियंता (सर्त0)/समस्त सहायक खनि अभियंता (सर्त0)।

(सतीश आर्य) 18/06/21

तकनीकी सहायक—निदेशक एवं
को—नोडल अधिकारी— DMGOMS